

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 103/16.17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कुंठ वास्ती ..... वो अंचल निरीक्षक श्री गणेश चंद्र राय ..... का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बुधुवा ..... थाना नं0 692 ..... गैरमजरुआ खाता नं0 24/38 ..... दाग नं0 32 ..... रकवा 80.15.00 किस्म पत्ती करीम श्री खाल चन्द्र राय ..... पिता गामा 40 राय ..... साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री खाल चन्द्र राय ..... को दिनांक 30/3/16 ..... समय 11:00 AM ..... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति, सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

30/3/16

अभिलेख संख्या 103/16.17। खाल चन्द्र राय पिता गामा 40 राय के पुत्र हिरीचंद्र कुंठ राय इप्लीच। उन्होंने सत्य के रूप में कुंठ कुंठ नाम। केंची भाषा की भाषा मति समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्य कुंठ 8-2-2 द्वारा अधिग्रहण का लिखा गया है और उन्हें कुंठ कुंठ का हिरी सत्य शब्दों हेतु निदेशित। वो। अंचल 11/3/16 को एवें।

11/3/16  
अंचल अधिकारी  
महागामा

sandha

अंचल  
30/3/16



14/01/19

अभिलेख उपस्थापित ।  
नोटिस निर्गत करें

~~अंशल मंडल  
महाराष्ट्र~~

11/7/19

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस वापिस प्राप्त । विपक्षी भी कोर्ट में  
दिनांक जुलाई 1919 में दायर है । उनके

31/7/2020

अभिलेख उपस्थापित ।  
नोटिस निर्गत करें ।

~~अंशल मंडल  
महाराष्ट्र~~

05.01.2021

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उपनिरीक्षण - सह - प्रभाषी अंशल मंडल को  
महाराष्ट्र से प्रसंग श्रमिक का नोटिस प्रतिवेदन  
के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,  
जिसका आवलोकन किया प्रतिवेदनानुसार अश्वरथ  
संवेदात्मक पंजी - II श्रेणी को श्रमिक महाम पदाधिकारी  
से प्राप्त है। वर्तमान में अश्वरथ श्रमिक संघ को एलए  
क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की  
कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापति  
~~अंशल  
महाराष्ट्र~~

~~अंशल मंडल  
महाराष्ट्र~~